

mail

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा.व.प्र.आ.0.
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज/अररिया/पूर्णियाँ/कटिहार/पूर्वी चम्पारण/पश्चिम चम्पारण/ दरभंगा/मधुबनी/सीतामढ़ी/
शिवहर/सुपौल/मधेपुरा/मुजफ्फरपुर।

पटना-15, दिनांक- 17/8/17

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड-39-2245021010002 के अन्तर्गत कुल ₹ 155.00 लाख (एक करोड़ पचपन लाख रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति मद के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध तथा पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या-2408/आ0प्र0 दिनांक 17.08.17 द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :
लघुशीर्ष -101 आनुग्रहिक राहत। माँग संख्या-39
उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान।
विस्तृत शीर्ष-21-सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष-03- आहार/पथ्य

(राशि रूपये लाख में)

क्र०	जिला	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017-18)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2017-18)
1	किशनगंज	30.00 (तीस लाख)	15.00 (पंद्रह लाख)	45.00 (पैंतालीस लाख)
2	अररिया	30.00 (तीस लाख)	15.00 (पंद्रह लाख)	45.00 (पैंतालीस लाख)
3	पूर्णियाँ	230.00 (दो करोड़ तीस लाख)	15.00 (पंद्रह लाख)	245.00 (दो करोड़ पैंतालीस लाख)
4	कटिहार	30.00 (तीस लाख)	15.00 (पंद्रह लाख)	45.00 (पैंतालीस लाख)
5	पूर्वी चम्पारण	40.00 (चालीस लाख)	15.00 (पंद्रह लाख)	55.00 (पचपन लाख)
6	पश्चिम चम्पारण	20.00 (बीस लाख)	15.00 (पंद्रह लाख)	35.00 (पैंतीस लाख)
7	दरभंगा	30.00 (तीस लाख)	10.00 (दस लाख)	40.00 (चालीस लाख)
8	मधुबनी	30.00 (तीस लाख)	10.00 (दस लाख)	40.00 (चालीस लाख)
9	सीतामढ़ी	40.00 (चालीस लाख)	20.00 (बीस लाख)	60.00 (साठ लाख)
10	शिवहर	25.00 (पच्चीस लाख)	5.00 (पाँच लाख)	30.00 (तीस लाख)
11	सुपौल	30.00 (तीस लाख)	10.00 (दस लाख)	40.00 (चालीस लाख)
12	मधेपुरा	30.00 (तीस लाख)	5.00 (पाँच लाख)	35.00 (पैंतीस लाख)
13	मुजफ्फरपुर	40.00 (चालीस लाख)	5.00 (पाँच लाख)	45.00 (पैंतालीस लाख)
	कुल योग	605.00 (छः करोड़ पाँच लाख)	155.00 (एक करोड़ पचपन लाख)	760.00 (सात करोड़ साठ लाख)

4. यह आवंटन आसन्न बाढ़ से प्रभावित जिलों में खाद्यान्न क्रय हेतु निर्गत किया जा रहा है।

67 17/8/17

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।
7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।
8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उस कोषागार में जमा करा दिया जाय।
9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कांड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।
13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।
14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
अपर सचिव

ज्ञापांक 67 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 17/8/17
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक 67 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 17/8/17
प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक 67 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 17/8/17
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक 67 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 17/8/17
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक 67 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 17/8/17
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई(टी)0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव